

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह के खाता "दुरूस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में पटवार मण्डल नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के चक 3 पीटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में खाता संख्या 84/67 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्ट को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.स.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	नुकेरा	चक 3 पीटीपी 84/67	लखविन्द्र सिंह	लखविन्द्र सिंह उर्फ लखवंत सिंह पूनियां

नोट :-शेष प्रविष्टियां/बैंक रहन यथावत रहेगी।



क्रमांक :- सम/ 283

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया
दिनांक :- 22/11/23

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक नुकेरा।
3. प्रार्थी लखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया जिला हनुमानगढ़।